

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़, जिला- झुझुनू

(पीठासीन अधिकारी श्री सुशील कुमार सैनी उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुझुनू)

जीसीएमएस नं. 2025/500, 501, 502, 503

मुकदमा नम्बर 168, 169, 170, 171/2025

आदेश

दिनांक- 17/09/2025

प्रार्थी के प्रार्थनापत्र एवं पटवारी हल्का व भू.अ. निरीक्षक की रिपोर्ट तथा तहसीलदार नवलगढ़ की अनुशांषा के आधार पर राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम चोराडी आथूणी, देवगांव नूआ, हिम्मतपुरा, पटवार हल्का देवगांव नूआ की जमाबन्दी संवत् 2075-2078 में दर्ज प्रविष्टियों को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता सं.	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	चोराडी आथूणी	131,142,53	कंचन कुमार पुत्र जयप्रकाश	कंचन कालेर पुत्र जयप्रकाश
			राहिताश्व कुमार पुत्र इन्द्राज	रोहिताश पुत्र इन्द्राज सिंह
2	देवगांव नूआ	54	भंवर कंवर पत्नी महेन्द्र सिंह	भंवरी देवी पत्नी महेन्द्र सिंह
3	हिम्मतपुरा	58	बबीता देवी पत्नी प्रकाशचन्द्र जाति जाट	बबीता देवी पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट
			निकिता कुमारी पुत्री प्रकाशचन्द्र जाति जाट	निकिता कुमारी पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट

]-168  
169  
-170  
]-171

उपखण्ड अधिकारी  
नवलगढ़

दिनांक 17/09/2025

क्रमांक/राजस्व/2025/ 680  
प्रतिलिपी:-

1. तहसीलदार नवलगढ़ को प्रेषित कर लेख है कि आदेशानुसार रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
2. आवेदक..... |

उपखण्ड अधिकारी  
नवलगढ़